अध्याय-I

संभावनाएं

केंद्रीय बैंकों तथा सरकारों द्वारा किए गए अभूतपूर्व उपायों से आर्थिक बहाली को समर्थन देने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। तथापि, राजकोषीय प्रोत्साहन का असर कम होते जाने, भावी मौद्रिक उपायों की सीमाओं तथा वर्तमान जारी डिलीवरेजिंग एवं तुलनपत्रों को ठीक करने के प्रयासों के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहाली की प्रक्रिया में बाधाएं आ रही हैं। इस बीच मानक निर्धारक संस्थाओं और राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय प्रणाली के विनियामक ढांचे में सुधार हेतु बहुआयामी पहलें की गई हैं जिनमें वर्धित पूंजी निर्धारण तथा विनियामक परिसीमा से लेकर बेहतर निगरानी तथा पर्यवेक्षी प्रथाओं और वित्तीय संस्थाओं के व्यवधानरहित समाधान तक के क्षेत्र शामिल हैं। भारतीय संदर्भ में, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा वित्तीय बाजारों में आबंटन संबंधी कुशलता में सुधार हेतु विनियामक तथा लेखांकन ढांचे को सुदृढ़ करना विनियामक प्राधिकारियों का मुख्य एजेंडा होगा। बैंकों को कारोबार प्रोसेसिंग के पुनर्गठन के जरिए ग्राहक सेवा में सुधार लाने के अलावा अनर्जक आस्तियों तथा चलनिधि के प्रबंधन हेतु विशेष प्रयास करने होंगे। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी से मिलने वाले लाभों का दोहन करने के लिए सभी हितधारकों को समन्वित रूप में प्रयास करने चाहिए ताकि अधिक-से-अधिक लोगों को बैंकिंग की परिधि में लाया जा सके।

1. भूमिका

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था महामंदी के बाद के सबसे बड़े वित्तीय संकट से उबर रही है। वित्तीय संकट से कई सारे सबक मिले हैं। तथापि, बहाली की प्रक्रिया कमजोर तथा असमान रही है। पहला, वित्तीय विनियमन को आगे रहने की जरूरत है ताकि वे वित्तीय नवोन्मेषों तथा उभरते नए कारोबारी मॉडलों से पीछे न रहें। इसके लिए पर्यवेक्षी कौशल तथा लिखतों में निरंतर आधार पर सुधार करने की जरूरत है। दूसरा, वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में अंतर-एजेंसी समन्वय की जरूरत है जिसके लिए केंद्रीय बैंकों, विनियामकों, पर्यवेक्षकों तथा राजकोषीय प्राधिकारियों की आपसी भूमिका को समझने की जरूरत है। एजेंसियों को सूचनाओं/आंकड़ों को बांटना चाहिए तथा एकाधिक विनियामकों से जुड़े समरूपी मुद्दों को साथ बैठकर निपटाना चाहिए। तीसरा सबक वित्तीय प्रणाली के विनियामक ढांचे तथा देश की राजकोषीय स्थिति के लिए बड़ी राशि के समर्थन पैकेजों के निहितार्थों के अध्ययन की जरूरत की ओर इंगित करता है। किसी एक देश के बचाव पैकेजों का वित्तीय चैनलों के माध्यम से विश्वव्यापी असर हो सकता है जिससे समष्टि आर्थिक प्रबंधन की लागत में वृद्धि होती है चाहे वे देश संकट वाले देश से काफी दूर क्यों न हो। संक्रमण तथा देशी वित्तीय प्रणाली में इसके प्रभाव को कम करने के लिए जमा बीमा की प्रणाली तथा व्याप्ति संबंधी मुद्दों एवं वित्तीय संस्थाओं को गारंटी प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जाना चाहिए। चौथा सबक कर्ज बाजारों में संरचित उत्पादों तथा व्युत्पन्नियों की कमज़ोरियों की बेहतर समझ की अपेक्षा करता है जिसका वित्तीय स्थिरता हेतु निहितार्थ है। इस संबंध में 'ओरिजिनेट-टू-डिस्ट्रिब्यूट' मॉडलों से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए कारोबार तथा निपटान प्रथाओं के विभिन्न मॉडलों के सापेक्षिक बेहतरी का विस्तृत मूल्यांकन करने की जरूरत है। अंत में, विनियामकों को जोखिम उठाने की प्रवृत्ति में कमी लाने तथा आर्थिक वृद्धि के बीच सही संतुलन बनाते समय सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बाजारों तथा संस्थाओं की कई बार आत्मसमर्पण करने की प्रवृत्ति होती है।

1.2 हाल की वैश्विक तथा भारतीय बैंकिंग की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए खंड 2 में वैश्विक बैंकिंग गतिविधियों की उभरती संभावनाओं की चर्चा की गई है। खंड 3 में वित्तीय स्थिरता संबंधी

मुद्दों सहित भारतीय बैंकिंग की उभरती संभावनाओं की पहचान करने का प्रयास किया गया है।

2. वैश्विक प्रवृत्ति से उभरती संभावनाएं

1.3 संकट के दौरान देखी गयी वैश्विक वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को दूर करने के लिए मानक निर्धारण करने वाली संस्थाओं तथा नए विनियामक प्राधिकारों द्वारा नए प्रतिमानों का निर्धारण किए जाने के चलते वैश्विक बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली में हाल में ढांचागत परिवर्तन हो रहा है।

वित्तीय बाजारों का विनियमन - वैश्विक पहलें

1.4 'बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन को सुदृढ़ करना' विषय पर बीसीबीएस द्वारा दिसम्बर 2009 में जारी परामर्शी दस्तावेज में वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता में सुधार लाने हेतु प्रस्तावों के एक पैकेज पर चर्चा की गयी। समिति के सुधार प्रस्ताव वित्तीय विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैश्विक प्रयासों का एक हिस्सा थे जिसका समर्थन एफएसबी और जी-20 के देशों द्वारा किया गया। इस सुधार पैकेज के जरिए समिति का लक्ष्य बैंक की पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण को सुदृढ़ करने के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन तथा अभिशासन को सुदृढ़ करना है।

1.5 दिसम्बर 2009 के बीसीबीएस प्रस्तावों के आधार पर गवर्नरों तथा पर्यवेक्षण के प्रमुखों का समूह, जो कि बीसीबीएस की निगरानी संस्था है, जुलाई 2010 में पूंजी की परिभाषा, प्रतिपक्षी कर्ज जोखिम का व्यवहार, लीवरेज अनुपात तथा वैश्विक चलनिधि मानक के संबंध में मोटे तौर पर सहमत हुआ। जुलाई 2010 की सहमति की प्रमुख विशेषताएं बॉक्स I.1 में दी गयी हैं।

बॉक्स I.1 : पूंजी तथा चलनिधि सुधार पैकेज, जुलाई 2010 - प्रमुख विशेषताएं

(1) ***पूंजी की परिभाषा***

(i) अल्पमत हितों की विवेकपूर्ण पहचान।

(ii) वित्तीय संस्थाओं के निवेशों की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) पर प्रतिपक्षी कर्ज प्रतिबंध को समाप्त करना।

(iii) टियर-I पूंजी के साधारण इक्विटी हिस्से की गणना करने के लिए साधारण शेयरों में निवेशों, बंधक चुकौती अधिकारों तथा आस्थगित कर आस्तियों को सीमित रूप में हिसाब में लेना।

(2) ***प्रतिपक्षी कर्ज जोखिम***

(i) हेजिंग के समाधान के लिए बाण्ड समतुल्य दृष्टिकोण में संशोधन।

(ii) जोखिम मूल्यांकन समायोजन के अत्यधिक अंशांकन को समाप्त करना।

(iii) बैंकों के केंद्रीय प्रतिपक्षियों के प्रति बाजार दर पर अंकित तथा संपार्श्विक एक्सपोज़रों को 1-3 प्रतिशत के दायरे में सामान्य स्तर का जोखिम भार लगाना।

(3) ***लीवरेज अनुपात***

(i) तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़रों के लिए एकसमान कर्ज परिवर्तन कारक (सीसीएफ) निर्धारित करना।

(ii) वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति के मानकीकृत कारक के अनुसार बासल II नेटिंग तथा संभावित भावी एक्सपोज़र का सरल मापन।

(iii) समान्तर परिचालन के दौरान 3 प्रतिशत के न्यूनतम टियर-I लीवरेज अनुपात के प्रस्ताव का परीक्षण।

(4) ***विनियामक बफर, न्यूनतम आवश्यकता की चक्रीयता तथा प्रावधानन***

(i) पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय बफरों का 2010 के अंत तक निर्धारण किया जाना।

(ii) बैंकों के पूंजी बफरों की पर्याप्तता के आकलन हेतु पर्यवेक्षी साधनों के एक सेट के विकास हेतु न्यूनतम अपेक्षाओं की चक्रीयता के परिणामों को मात्रात्मक प्रभाव के साथ संगत बनाना।

(iii) प्रावधानन हेतु प्रत्याशित हानि दृष्टिकोण के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आइएएसबी) के साथ विचार-विमर्श करना।

(5) ***वैश्विक चलनिधि मानक***

(i) चलनिधि की परिभाषा में संशोधन ताकि वे तनाव की अवधि के दौरान भी उनकी उपलब्धता बनी रहे।

(ii) नकदी प्रबंधन संबंधी चुनिंदा कार्यकलापों के साथ-साथ समाशोधन संबंधी कार्यों की अभिरक्षा हेतु 25.0 प्रतिशत के बहिर्वाह बकेट की शुरुआत।

(iii) बेजमानती निधीयन के लिए सभी सरकारों, केंद्रीय बैंकों तथा पीएसई को 100 प्रतिशत रोल-ऑफ दर वाली कंपनियों के समकक्ष मानना।

स्रोत : बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति।

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर

1.6 7 सितम्बर 2009 को जारी प्रेस प्रकाशनी में केंद्रीय बैंक गवर्नरों तथा पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह की सहमति में अनुचक्रीयता से निपटने के लिए न्यूनतम बफर के ऊपर प्रतिचक्रीय पूंजी बफर ढांचे की शुरुआत करने की बात कही गयी है। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य, जैसा कि बीसीबीएस के दिसम्बर 2009 के 'बैंकिंग क्षेत्र की आघात-सहनीयता को सुदृढ़ करना' में उल्लेख किया गया है, इस प्रकार हैं: (i) न्यूनतम पूंजी आवश्यकता की अत्यधिक अनुचक्रीयता को सीमित करना, (ii) अधिक दूरदर्शी प्रावधाननों को प्रोत्साहित करना तथा (iii) पूंजी बफरों को बढ़ाना ताकि वे अत्यधिक कर्ज-वृद्धि की अवधियों में बैंकिंग क्षेत्र की रक्षा कर सके। जुलाई 2010 में बीसीबीएस ने प्रतिचक्रीय पूंजी बफर व्यवस्था संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जिसके अनुसार पूंजी का स्तर निर्देशक दायरे से बाहर होने पर बैंकों पर पूंजी वितरण प्रतिबंध लगाया जाएगा। समिति का विचार था कि पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता के सूक्ष्म निर्धारण हेतु उपयोग में लाए जा सकने वाले विभिन्न परिवर्तियों में से सबसे बेहतर संकेतक जीडीपी की तुलना में कर्ज का अंतर है।

1.7 प्रतिचक्रीय प्रावधान तथा बफर के निर्माण की धारणा में तात्कालिक आकर्षण के बावजूद इसके परिचालनों में कई चुनौतियां हैं, जैसे (i) उस परिवर्तन बिन्दु की पहचान करना जहां से पूंजी का निर्माण तथा उपयोग किया जाना है, (ii) अच्छे तथा बुरे समय के लिए आर्थिक संकेतक का चुनाव, (iii) वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक चक्र को परिभाषित करने की कठिनाई क्योंकि आर्थिक चक्र वैश्विक स्तर पर एकसमान नहीं होते, (iv) आपदा के त्वरित गति से उत्पन्न होने तथा पूंजी के अकस्मात निर्गम के निहितार्थ, (v) पूंजी के सही आकार का निर्धारण, तथा (vi) यह सुनिश्चित करना कि पूंजी बफर योजना सरल तथा पारदर्शी हो, उसका कार्यान्वयन लागत कम हो तथा यह यथासंभव नियम आधारित हो।

उन्नत बासेल II व्यवस्था

1.8 गवर्नर तथा पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह ने सितम्बर 2010 में हुई बैठक में वर्तमान पूंजी आवश्यकता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु उपायों की घोषणा की जिन्हें सारणी I.1 में दिया गया है।

1.9 संशोधित पूंजी मानक का कार्यान्वयन लम्बी संक्रमण अवधि की अनुमति देते हुए चरणबद्ध रूप में किया जाएगा। दिसम्बर 2012 के अंत तक पर्यवेक्षी निगरानी अवधि के साथ इसका चरणबद्ध कार्यान्वयन 1 जनवरी 2013 से प्रारंभ होगा (सारणी I.2)। वैश्विक चलनिधि मानकों के साथ-साथ इन सुधारों को नवम्बर 2010 में सीओल में होने वाली जी-20 नेताओं की शिखर बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिनसे आशा है कि वैश्विक

सारणी I.1: सुदृढ़ीकृत पूंजीगत ढांचा: बासेल II से उन्नत बासेल II

जोखिम भारित आस्तियों का प्रतिशत	पूंजी आवश्यकताएं							अतिरिक्त समष्टि विवेकपूर्ण आवरण
	साधारण इक्विटी			टियर 1 पूंजी		कुल पूंजी		प्रतिचक्रीय बफर
	न्यूनतम	संरक्षण बफर	आवश्यकता	न्यूनतम	आवश्यकता	न्यूनतम	आवश्यकता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बासेल II	2			4		8		
उन्नत बासेल II परिभाषा और अंशांकन	4.5	2.5	7.0	6	8.5	8	10.5	0-2.5

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

सारणी I.2: चरणबद्ध व्यवस्था (बोल्ड में दिए गए आंकड़े संक्रमण अवधि को दर्शाते हैं)
(सभी तिथियां 1 जनवरी की हैं)

लीवरेज अनुपात	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1 जनवरी 2019 को
	पर्यवेक्षी निगरानी		समानांतर परिचालन 1 जनवरी 2013 - 1 जनवरी 2017 प्रकटीकरण की शुरुआत 1 जनवरी 2015 से					स्तंभ 1 में अंतरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
न्यूनतम साझा इक्विटी पूंजी अनुपात			**3.5%**	**4.0%**	**4.5%**	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
पूंजी संरक्षण बफर						**0.625%**	**1.25%**	**1.875%**	2.50%
न्यूनतम सामान्य इक्विटी और पूंजी संरक्षण बफर			**3.5%**	**4.0%**	**4.5%**	**5.125%**	**5.75%**	**6.375%**	7.0%
सीईटी1 से चरणबद्ध कटौती (डीटीए, एमएसआर तथा फिनांशियल की सीमा से अधिक की राशि सहित)				**20%**	**40%**	**60%**	**80%**	100%	100%
न्यूनतम टियर 1 पूंजी			**4.5%**	**5.5%**	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%	6.0%
न्यूनतम कुल पूंजी			8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%	8.0%
न्यूनतम कुल पूंजी तथा संरक्षण बफर			8.0%	8.0%	8.0%	**8.625%**	**9.25%**	**9.875%**	10.5%
ऐसे पूंजीगत लिखतें जो गैर-कोर टियर 1 तथा टियर 2 पूंजी के लिए पात्र नहीं हैं			2013 से 10 वर्षों के दौरान समाप्त किया जाना है						
तरलता कवरेज अनुपात	प्रेक्षण अवधि शुरू होती है				न्यूनतम मानक शुरू करें				
शुद्ध स्थिर निधीयन अनुपात		प्रेक्षण अवधि शुरू होती है						न्यूनतम मानक शुरू करें	

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक

वित्तीय सुधार एजेंडा की मूल अपेक्षाओं का पूर्णतः पालन हो जाएगा। मध्यावधि में, कोरिया गणराज्य के ग्योनजिउ में सितंबर 2010 में हुई जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की विज्ञप्ति में नए पूंजी और चलनिधि ढांचे को सहमत समय-सीमा के भीतर पूर्णतः लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है।

उन्नत बासेल II पूंजी मानक के समष्टि आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन

1.10 नये पूंजी नियमों के समष्टि आर्थिक प्रभाव का आकलन मॉडलों की अवधारणाओं के आधार पर भिन्न-भिन्न है। एफएसबी-बीसीबीएस समष्टि आर्थिक मूल्यांकन समूह का निष्कर्ष था कि यदि उच्चतर अपेक्षाएं चार वर्ष की अवधि में चरणबद्ध कर दी जाती हैं तो बैंक के जोखिम भारित आस्तियों के प्रति गोचर साधारण इक्विटी के वास्तविक अनुपात में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि से इसके कार्यान्वयन के बाद आधार पथ की तुलना में जीडीपी के स्तर में लगभग 0.20 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इसका अर्थ यह होगा कि साढ़े चार वर्ष की अवधि में वार्षिक वृद्धि दर में औसतन 0.04 प्रतिशत अंक की गिरावट आएगी और परिणामों का दायरा इन अनुमानित बिन्दुओं के आसपास होगा। दूसरी ओर, चलनिधि आस्तियों की धारिताओं में 25 प्रतिशत की वृद्धि से उत्पादन में आधे से कम प्रभावित होगा जितना कि पूंजी अनुपात

में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि से होता। इसका जो प्रभाव पड़ सकता है वह मुख्यतः यह है कि बैंक उच्चतर लागत उधारकर्ताओं को अंतरित कर देंगे जिसका परिणाम निवेश में गिरावट के रूप में होगा। तथापि, जीडीपी परवर्ती वर्षों में इसके आधार स्तर पर आ जाता है।

1.11 अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आइआइएफ) की जून 2010 में जारी प्रारंभिक 'बैंकिंग विनियामक ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तनों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संचयी प्रभाव संबंधी अंतरिम रिपोर्ट' ने आकलन किया है कि नयी विनियामक व्यवस्था का असर काफी अधिक होगा। विनियामक सुधार के पूर्ण कार्यान्वयन से 2011-15 की 5 वर्ष की अवधि में जीडीपी वृद्धि के पथ में औसतन 0.6 प्रतिशत अंक की तथा 2011-2020 की 10 वर्ष की पूरी अवधि में जीडीपी के वृद्धि पथ में औसतन 0.3 प्रतिशत अंक की गिरावट आएगी। इससे यूरो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा, जापान पर इसका सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था की तुलना में बैंकिंग प्रणाली के महत्व, ऋण मध्यस्थन प्रवाह की प्रवृत्ति तथा नयी अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रणाली द्वारा किए जाने वाले समायोजन की जरूरत के अनुसार अमरीका पर असर मिला-जुला होगा। सकारात्मक पक्ष में, आइआइएफ अध्ययन हेतु उपयोग किए गए मॉडल में मात्रात्मक रूप दिए जा सकने वाले अधिकांश सुधारों को शामिल करने की गुंजाइश है। नकारात्मक पक्ष में, मॉडल में आचरणगत प्रतिसूचना की अपेक्षाकृत कम गुंजाइश है और यह कार्य कर्ज संचरण चैनल पर काफी अधिक निर्भर करता है।

1.12 उच्च पूंजी आवश्यकता से जीडीपी पर पड़ने वाले असर का प्रारंभिक आकलन रिज़र्व बैंक द्वारा समष्टि आर्थिक समुच्चयों तथा बैंकिंग क्षेत्र के वार्षिक तुलनपत्रों तथा लाभ-हानि लेखा के आंकड़े निविष्टि के रूप में लेकर लघु विश्लेषणात्मक स्थिर मैक्रो मॉडल के आधार पर किया गया है। इस अध्ययन में बीआइएस द्वारा अपनायी गयी अनुरूपण की संकेंद्रित प्रवृत्ति के विपरीत इसमें एकबारगी प्रभाव का आकलन किया गया है। इस मॉडल से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग विभिन्न नीतिगत उपायों के लिए किया जाएगा। रिज़र्व बैंक नए पूंजी मानकों का निर्धारण स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्नत बासेल II मानदण्डों के अनुरूप निर्धारित करेगा।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं

1.13 बीसीबीएस कई कार्यों को ध्यान में रखते हुए प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआइएफआइ) से व्यवहार करने के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, यथा (i) एसआइएफआइ की पहचान करना, (ii) पूंजी और चलनिधि अधिभार तथा उन्नत पर्यवेक्षण के जरिए एसआइएफआइ हेतु भिन्न प्रकार की प्रणालियां, (iii) करदाताओं की धनराशि का उपयोग किए बिना एसआइएफआइ की समस्याओं के समाधान हेतु क्षमता में सुधार करना, (iv) एसआइएफआइ की विफलताओं की संभावना और प्रभाव को कम करना तथा (v) एसआइएफआइ की निगरानी में सुधार लाना। एसआइएफआइ के संबंध में बीसीबीएस तथा एफएसबी अच्छी तरह एकीकृत दृष्टिकोण का विकास कर रहे हैं जिसमें पूंजी अधिभार, आकस्मिक पूंजी तथा आपाती ऋण व्यवस्था शामिल हो सकती है। इसके अलावा, समाधान संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का कार्य जारी है। एफएसबी एसआइएफआइ पर्यवेक्षण की प्रभाविता में वृद्धि हेतु उपायों पर भी विचार कर रहा है।

सीमा पार सहयोग

1.14 सीमा पार समस्याओं, जिनके कारण संकट के समय विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समन्वय के अभाव में हितधारकों के सामने भारी अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है, के समाधान हेतु एक फ्रेमवर्क के गठन का प्रयास किया जा रहा है। एफएसबी ने 'संकट प्रबंधन पर सीमा पार सहयोग' हेतु सिद्धांतों का एक सेट जारी किया। बीसीबीएस द्वारा मार्च 2010 में जारी 'सीमा पार बैंक समाधान समूह' की रिपोर्ट जो कि एफएसबी के कार्यों के पूरक के रूप में है, में सीमा पार सहयोग के संबंध में एफएसबी के सिद्धांतों को लागू करने की दिशा में विस्तृत दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है और इसमें निम्नलिखित बातों की अपेक्षा की गयी है : (i) महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा समय पर हस्तक्षेप, (ii) दबाव के दौरान आघात-सहनीयता में वृद्धि हेतु तथा समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए बैंकों द्वारा योजनाएं तैयार किया जाना, (iii) निपटान संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए सीसीपी को सुदृढ़ करना, (iv) समाधान व्यवस्थाओं

को समरूप बनाना तथा उनका समन्वयन करना, (v) प्रणालीगत रूप महत्वपूर्ण बैंकों और समूहों की संरक्षा तथा / अथवा उनके शीघ्र समाधान हेतु आयोजना करना तथा (vi) जटिल समूह वाले ढांचों के समाधान को सुकर बनाने के लिए समाधान प्राधिकारियों तथा देश और विदेश के पर्यवेक्षकों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना।

पर्यवेक्षी परिषद

1.15 हाल के वैश्विक संकट ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूहों के लिए पर्यवेक्षी प्रथाओं की प्रभाविता को सुदृढ़ करने के एक माध्यम के रूप में पर्यवेक्षी परिषदों के महत्व को रेखांकित किया। इसके आलोक में बीसीबीएस ने अक्तूबर 2010 में पर्यवेक्षी परिषद के संबंध में उचित प्रथा संबंधी सिद्धांतों का एक सेट प्रकाशित किया। ये सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा जानकारी के आदान-प्रदान संबंधी पूर्व के दिशानिर्देश के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। ये सिद्धांत पर्यवेक्षी परिषदों के लक्ष्यों, पर्यवेक्षी परिषदों के ढांचे, प्रमुख जोखिमों तथा बैंकिंग समूहों की जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में परिषद के सदस्यों द्वारा जानकारी के समुचित आदान-प्रदान, सूचना के आदान-प्रदान की सत्यनिष्ठा एवं गोपनीयता, सदस्यों के बीच सहयोगपूर्ण कार्य को बढ़ावा देने, संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करने, संकट प्रबंधन ढांचे को समर्थन देने तथा अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बड़े वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण विधि में उनके प्रणालीगत महत्व के अनुसार संशोधन करने से संबंधित है।

वित्तीय कार्यकलाप कर

1.16 'वित्तीय स्थिरता अंशदान' हेतु वित्तीय क्षेत्र द्वारा उचित तथा उल्लेखनीय अंशदान संबंधी जी-20 की अप्रैल 2010 की अंतरिम रिपोर्ट में सभी वित्तीय संस्थाओं तथा 'वित्तीय कार्यकलाप कर' पर एकसमान दर पर लाभ तथा पारिश्रमिक लेवी लगाए जाने का प्रस्ताव किया है। इन करों का निर्धारण वित्तीय क्षेत्र के आकार को संकुचित करके भविष्य की वित्तीय विसंगतियों को ठीक करने तथा प्रणालीगत जोखिम को कम करने में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। इस प्रस्ताव पर जून 2010 में कोरिया गणराज्य के बुसान में हुई जी-20 की बैठक में चर्चा हुई जिसमें प्रत्येक देश की 'परिस्थितियों तथा विकल्पों' को ध्यान में रखते हुए लेवी लगाए जाने का उल्लेख है। भारत का विचार था कि बैंक के तुलनपत्र पर लेवी लगाने के बजाए बेहतर तथा समुचित विनियमन की जरूरत है।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए लेखाविधि मानक

1.17 जी-20 के देशों द्वारा की गयी पहलों के चलते लगभग सभी एफएसबी सदस्य देशों ने या तो अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड को अंगीकार किया अथवा वे 2012 तक इसे अंगीकार करने की प्रक्रिया में हैं। एफएसबी ने चार क्षेत्रों में नये संकेंद्रित लेखांकन मानक को अपनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, यथा (i) वित्तीय आस्तियों की हानि, (ii) पुनर्खरीद करारों को तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के रूप में स्वीकार न किया जाना, (iii) उचित मूल्य मापन दिशानिर्देश में मूल्यांकन की अनिश्चितता तथा (iv) वित्तीय लिखतों की नेटिंग। लेखांकन मानक निर्धारित करने वाली संस्थाएं यथा वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड (एफएएसबी) तथा आइएएसबी इस बारे में चर्चा कर रही हैं तथा एकल उच्च गुणवत्तापूर्ण वैश्विक लेखांकन मानक के गठन के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे रही हैं तथा जून 2011 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

ओवर दि काउंटर (ओटीसी) बाजार में सुधार

1.18 ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में सुधार वैश्विक वित्तीय संकट से प्राप्त अनुभव की पृष्ठभूमि में वित्तीय प्रणाली की आपसी संबद्धता की जटिलताओं के कारण उत्पन्न प्रणालीगत जोखिम को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। बीआइएस के अनुसार, 2009 के अंत में बकाया डेरिवेटिव संविदाओं का मूल्य 6,63,870 बिलियन अमरीकी डॉलर था जिसमें से केवल 3.4 प्रतिशत एक्सचेंजों में ट्रेड किए गए थे जबकि शेष संविदाओं की ट्रेडिंग खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आपस में तय हुई शर्तों के अनुसार ओटीसी बाजारों में की गयी। मई 2010 में भुगतान तथा निपटान प्रणाली संबंधी समिति (सीपीएसएस) तथा प्रतिभूति कमीशनों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आइओएससीओ) ने केन्द्रीय प्रतिपक्षियों (सीसीपी) के संबंध में मानक जारी किए ताकि ओटीसी डेरिवेटिव से जुड़ी जोखिमों से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। सीपीएसएस, आइओएससीओ तथा यूरोपीयन कमीशन को लेकर गठित एक कार्यदल समाशोधन तथा विनिमय अथवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अपेक्षाओं को सभी देशों में

समान रूप से लागू करने के बारे में नीतिगत विकल्पों का अध्ययन कर रहा है। अमरीका के वित्तीय विनियमन बिल में व्यापक रूप से ट्रेड किए जाने वाले ओटीसी डेरिवेटिवों को समाशोधन गृहों में अंतरित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि प्रतिपक्षी तथा प्रणालीगत जोखिमों को कम किया जा सके।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का सुधार

1.19 वित्तीय क्षेत्र सुधारों के प्रमुख एजेंडा में से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) के स्तर पर हितों के टकराव को कम करना तथा निवेशकों के स्तर पर उचित सत्प्रयास को प्रोत्साहन देना है। तदनुसार, जी-20 के सदस्य देश आइओएससीओ के सीआरए संबंधी आचरण विधि के अनुरूप सीआरए के लिए विनियामक पर्यवेक्षी व्यवस्था स्थापित करने हेतु सहमत हुए। प्रस्तावित सुधार उपायों में रेटिंग एजेंसियों को ढांचा संबंधी सुझाव देने पर प्रतिबंध लगाना, जारीकर्ता द्वारा भुगतान मॉडल के स्थान पर निवेशक द्वारा भुगतान मॉडल को स्थापित करना, निष्पादन हेतु भुगतान तथा वेट-टू-रेट मॉडलों की शुरुआत करना तथा विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए रेटिंग पर निर्भरता को कम करना शामिल हैं। बीसीबीएस विनियामक ढांचे में बाहरी रेटिंग के उपयोग के कारण मिलने वाले अनुपयुक्त प्रोत्साहनों से जुड़े मुद्दे का समाधान भी कर रहा है।

कार्यपालक क्षतिपूर्ति नीति

1.20 बैंकों में प्रचलित कार्यपालक क्षतिपूर्ति संबंधी नीतियां और प्रथाएं ऐसी होनी चाहिए जो प्रभावी जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप तथा ग्राहकों के प्रति अनुकूल हों एवं बाजारों के दुरुपयोग को रोके। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एफएसबी द्वारा निर्धारित सिद्धांत तथा मानकों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को भुगतान बैंक द्वारा वास्तव में तथा पूर्णतः प्राप्त किए गए मूल्य के आधार पर किया जाए तथा अदा की गयी क्षतिपूर्ति पर्याप्त पूंजी तथा चलनिधि सहित बैंक को सुदृढ़ स्थिति में बनाए रखने के अनुरूप हो।

1.21 कर्मचारियों के पारिश्रमिक पैकेजों के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को सीमित करने के उद्देश्य से अक्तूबर 2010 में बीसीबीएस ने एक परामर्शी पेपर का प्रकाशन किया जिसमें पारिश्रमिक पैकेजों को जोखिमों के साथ जोड़ने हेतु क्रियाविधि का विकास करते समय बैंकों द्वारा विचार किए जानेवाले कतिपय प्रारंभिक पर्यवेक्षी विचारणीय विषयों तथा कारकों का ब्योरा दिया गया है।

प्रतिभूतिकरण बाजारों में सुधार

1.22 संकट के परिणामस्वरूप प्रतिभूतिकृत उत्पादों के मूल्यन की प्रक्रिया बाधित होने से यह बाजार वस्तुतः बंद हो गया। आइएमएफ ने विशेष रूप से परिवारों तथा लघु और मध्यम आकार वाले उद्यमों के कर्ज की जरूरतों को समर्थन देने के लिए सुरक्षित आधार पर प्रतिभूतिकरण को पुनः प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। आइओएससीओ ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों के लिए प्रकटीकरण संबंधी सिद्धांतों का अप्रैल 2010 में प्रकाशन किया। बीसीबीएस तथा आइओएससीओ का संयुक्त फोरम इस बात का अध्ययन कर रहा है कि प्रतिभूतिकरण हेतु बाजार में उपलब्ध प्रोत्साहन समरूप है या नहीं।

जमाराशि बीमा

1.23 वैश्विक वित्तीय संकट ने बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विश्वसनीय तथा पारदर्शी जमाराशि बीमा प्रणाली की जरूरत को रेखांकित किया। अंतरराष्ट्रीय जमाराशि बीमा संगठन (आइएडीआइ) तथा बीसीबीएस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रभावी जमाराशि बीमा संबंधी मूल सिद्धांतों का प्रकाशन जून 2009 में किया गया। इसमें श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के आधार पर वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन अथवा नई जमाराशि बीमा प्रणाली की स्थापना के संबंध में परिवर्तन हेतु एक स्वैच्छिक ढांचागत रूप शामिल है। मूल सिद्धांतों में, जमाराशि बीमाकर्ता के लिए परिचालनात्मक स्वतंत्रता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व की जरूरतें शामिल हैं तथा इसमें विभिन्न देशों से जुड़े मुद्दों, सदस्यता तथा व्याप्ति, निधीयन, जन जागरूकता, कानूनी मुद्दों, असफलता समाधान, जमाकर्ताओं को राशि की प्रतिपूर्ति तथा वसूलियों के संबंध में विस्तृत दृष्टिकोण अपनाते हुए सुरक्षा-तंत्र के अन्य भागीदारों के साथ प्रभावी संबंध की अपेक्षा की गयी है।

पर्यवेक्षी / विनियामक सुधार - क्षेत्रीय / राष्ट्रीय पहलें

1.24 यूरोपीयन यूनियन बचाव व्यवस्था संबंधी निधियों, निजी इक्विटी फंडों तथा अन्य वैकल्पिक निधियों के लिए निधि प्रबंधकों के वैकल्पिक निदेशों को लागू कर रहा है। इसके मूल में, निदेशों के जरिए उन 'शैडो' बैंकिंग प्रणाली के बहुत बड़े हिस्सों पर मानक तथा विनियामक निगरानी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया है जो कमोबेश पर्यवेक्षण से मुक्त थे। यूरोपीयन कमीशन भी यूरोपीय बाजार ढांचा संबंधी विधान का प्रस्ताव कर रहा है जिसके आधार पर केन्द्रीय प्रतिपक्षियों तथा व्यापार निधियों के लिए यूरोपीयन यूनियन विधान ढांचे का गठन होगा।

1.25 अमरीकी सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा ने ''2010 का अमरीकी वित्तीय स्थिरता बहाली अधिनियम'' पारित किया तथा इसे कानूनी रूप देने के लिए राष्ट्रपति ने जुलाई 2010 में इस पर हस्ताक्षर किए। विधान के प्रमुख लक्ष्य ''वित्तीय प्रणाली में उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता में सुधार करके अमरीका की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, 'इतने बड़े कि फेल होने नहीं दिया जा सकता' की धारणा को समाप्त करना, बेलआउट को समाप्त करके अमरीकी करदाताओं की रक्षा करना तथा गलत वित्तीय सेवा प्रथाओं से ग्राहकों / निवेशकों की रक्षा करना'' है।

1.26 यूके का वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एफएसए), विशेष रूप से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए, बीसीबीएस द्वारा प्रस्तावित निर्धारणों से भी कठोर पूंजी नियम निर्धारित करने पर विचार कर रहा है। एफएसए वित्तीय रिपोर्टिंग काउंसिल (एफआरसी) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से, विशेष रूप से संमिश्र वित्तीय लिखतों के मूल्य निर्धारण हेतु लेखा परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बैंक के लेखा परीक्षकों और बैंक के बीच के संबंधों की विनियामक जांच का प्रस्ताव कर रहा है। वित्तीय रिपोर्टिंग काउंसिल द्वारा विकसित यूके स्टिवार्डशीप कोड संस्थागत निवेशकों को कंपनियों के साथ जोड़ने के संबंध में अच्छी परिपाटी की शुरुआत करने वाला इस प्रकार का पहला कोड है।

सरकारी ऋण संकट

1.27 यूरो क्षेत्र के कई देशों में बड़ी मात्रा की राजकोषीय प्रोत्साहन योजनाओं, वित्तीय बचाव पैकेजों तथा घटते कर राजस्व के कारण उत्पन्न हुए सरकारी ऋण की समस्या के उदय ने कई उन्नत देशों में अवहनीय सरकारी बजट घाटे तथा सरकारी ऋण की समस्या को उजागर किया है जिससे वैश्विक वृद्धि तथा वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइएमएफ के अनुसार जी-7 के देशों में जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात 2010 में 113 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है जो एक ऐसा स्तर है जिसे 1950 के बाद नहीं देखा गया था। बिगड़ती राजकोषीय स्थितियों का असर ग्रीस, पुर्तगाल तथा स्पेन ने सरकारी सीडीएस स्प्रेड में तेज वृद्धि के रूप में दिखायी दिया और ऐसे स्प्रेड में परिवर्तन का स्तर बजट घाटे के अनुरूप था। सरकारी ऋण की समस्या के समाधान हेतु बजट घाटों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने, डिलीवरेजिंग की प्रक्रिया को व्यवधान रहित तरीके से पूरा करने, ओवरहीटिंग को रोकने के लिए विवेकपूर्ण समष्टि विनियमन तथा विवेकपूर्ण विनियमन को लागू करने, बैंकों में विनियामक सुधार अपनाने तथा प्रणालीगत विफलताओं की लागत को कम करने की जरूरत है।

3. भारतीय बैंकिंग का परिदृश्य

1.28 2009-10 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के तुलनपत्र में गिरावट आयी तथा उनकी आस्तियों की गुणवत्ता तथा लाभप्रदता में थोड़ी कमी हुई। 2009-10 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक द्वारा दिए गए कर्ज में 16.6 प्रतिशत की कम दर पर वृद्धि हुई, परंतु अक्तूबर 2009 से आर्थिक स्थिति में सुधार प्रारंभ होने से बेहतरी के लक्षण दिखाई दिए। एससीबी के सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) समग्र रूप में 2008-09 के 2.25 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 2009-10 में 2.39 प्रतिशत हो गयीं। आस्तियों की गुणवत्ता में कुछ कमी आने के बावजूद भारतीय बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी का अनुपात, बासेल II मानदंड के अनुसार, मार्च 2010 के अंत में 14.5 प्रतिशत रहा जो विनियामक निर्धारण से काफी अधिक है। तथापि, भारतीय बैंकों की 2009-10 की लाभप्रदता, जैसा कि आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) से ज्ञात होता है, पिछले वर्ष के 1.13 प्रतिशत से कम अर्थात 1.05 रही।

1.29 वैश्विक वित्तीय संकट के अप्रत्यक्ष प्रभाव के बावजूद भारतीय बैंक झटकों को सहने में समर्थ रहे तथा संकट के बाद की

अवधि में सुस्थिर तथा सुदृढ़ बने रहे। अब भारतीय बैंक इस क्षेत्र के बैंकों के बीच वृद्धि, लाभप्रदता तथा ऋण चूक अनुपात के मानदंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं। आम तौर पर बैंकों का नवोन्मेष, वृद्धि तथा मूल्य सृजन का अच्छा रिकार्ड रहा है। तथापि, बैंकिंग विकास की इस प्रक्रिया को वित्तीय समावेशन की बृहत्तर जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि अन्य बाजारों की तुलना में इस क्षेत्र में बैंक सुविधा का विस्तार कम है।

विनियामक ढांचा

1.30 रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए समय पर पहलें करता रहा है कि वित्तीय प्रणाली की नयी गतिविधियों के अनुरूप बैंकिंग उद्योग के विनियामक ढांचे का अद्यतन नियमित आधार पर होता रहे, विनियामक / पर्यवेक्षी अंतरपणन तथा अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कम बनी रहे। उच्चतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात एवं आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) के रूप में सांविधिक चलनिधि बफरों की आवश्यकता के अतिरिक्त, बैंकों को संकेंद्रण जोखिम, पूंजी बाजार एक्सपोज़र, अंतर-बैंक एक्सपोज़र तथा बाह्य ऋण मध्यस्थन के संबंध में विनियामक मानदण्डों के अंतर्गत लाया गया है। डेरिवेटिवों में बैंकों के एक्सपोज़र को भी ब्याज दर तथा विनिमय दर संविदाओं की परिपक्वता से संबद्ध क्रेडिट परिवर्तन कारक के उपयोग के निर्धारण के जरिए पूंजी पर्याप्तता व्यवस्था के दायरे में लाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय संगुटों के अंदर 'संक्रमण जोखिम' का पता लगाने के लिए, साथ ही संगुट की विभिन्न संकेंद्रण जोखिम की दृष्टि से इसके बाहरी संस्थाओं, क्षेत्रों तथा बाजार खंडों के प्रति संचयी एक्सपोज़र का पता लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था स्थापित की है।

संस्थागत विकास

1.31 अधिक से अधिक बैंकों की सहायता से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, विशाखीकृत स्वामित्व के माध्यम से प्रतिस्पर्धा तथा बेहतर अभिशासन को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 अगस्त 2010 को नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के संबंध में चर्चा पत्र जारी किया। चर्चा पत्र में निम्नलिखित मुद्दों पर प्रतिसूचना मांगी गयी है :

- नए बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता तथा प्रवर्तकों का अंशदान
- प्रवर्तक की न्यूनतम तथा अधिकतम शेयर धारिता की सीमा तथा अन्य शेयर धारक
- नए बैंकों में विदेशी शेयर धारिता
- औद्योगिक तथा व्यापारी घरानों को बैंक स्थापित करने के लिए अनुमति दी जाए अथवा नहीं
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों में परिवर्तन की अनुमति दी जाए अथवा एक बैंक को प्रवर्तित करने की अनुमति दी जाए
- नए बैंक के लिए कारोबारी मॉडल

1.32 कोर निवेश कंपनियां, मुख्यत: उन वित्तीय लिखतों का धारण करने वाली कंपनियां, बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशील होती हैं, अत: उनके विफल होने के कारण वित्तीय प्रणाली पर पड़ने वाले असर को रोकने के लिए उन पर समुचित विनियमन होना चाहिए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2010 में समूह कंपनियों में इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों, ऋण अथवा कर्ज के रूप में कम-से-कम अपनी 90 प्रतिशत आस्तियां धारित करनेवाली कंपनियों के लिए विनियामक मानदण्डों की घोषणा की। बड़े व्यापारी घरानों की 100 करोड़ अथवा अधिक की आस्ति वाली इन होल्डिंग कंपनियों तथा निवेश फर्मों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करना आवश्यक है, साथ ही उन्हें पूंजी के न्यूनतम स्तर को बनाए रखना तथा लीवरेजिंग संबंधी उपयुक्त मानदण्डों का पालन भी आवश्यक है।

1.33 नये कंपनी बिल, 2009 जिसे पहले के कंपनी बिल, 1956 के स्थान पर लाया जाएगा, में अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को 'क्लास ऐक्शन' सूट के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, चूंकि लोकपाल योजना की संशोधित प्रणाली बैंकों के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु त्वरित तथा कम खर्चीला शिकायत निवारण तंत्र के रूप में अच्छी तरह कार्य कर रही है, अत:

सारणी I.3: सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन:पूंजीकरण

राशि करोड़ रुपए में स्थिति	जुलाई 2010 तक पहले ही पूरा कर लिया गया	2009-10 पूरा किया गया	2008-09 पूरा किया गया
1	2	3	4
यूको बैंक	673	450	450
विजया बैंक	700	-	500
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	250	300	250
सेंट्रल बैंक @	250	450	700
आइडीबीआइ बैंक	3,119	-	-
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	588	-	-
यूनियन बैंक	111	-	-
कुल	5,691	1,200	1,900

@ प्रस्तावित राइट निर्गम में सहभागिता के जरिए
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार

बैंकों को बिल के इस प्रावधान के अंतर्गत लाने का आधार पर्याप्त नहीं लगता।

बैंकों का पुन:पूंजीकरण

1.34 पूंजी बैंकों को अपने तुलनपत्र में विस्तार करने हेतु आधार के रूप में कार्य करती है। अतः बैंकों को उल्लेखनीय रूप से उच्चतर स्तर पर पूंजी जुटानी होगी ताकि अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरत के अनुसार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। 2010-11 के बजट में सरकार ने 8 प्रतिशत से अधिक का टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने में बैंकों की मदद करने हेतु 16,500 करोड़ रुपए के पुन:पूंजीकरण का प्रावधान किया है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जुलाई 2010 के अंत तक 5,691 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं (सारणी I.3)। डाली गयी पूंजी शाश्वत असंचयी अधिमान शेयरों सहित प्रत्यक्ष इक्विटी तथा संकर टियर I पूंजी के रूप में थी।

उन्नत बासेल II पूंजी व्यवस्था के निहितार्थ

1.35 केन्द्र सरकार द्वारा पुन:पूंजीकरण के अतिरिक्त, बैंकों को अल्पावधि में अपने पूंजी आधार में बढ़ोतरी करते रहना होगा ताकि उच्चतर ऋण वृद्धि को समर्थन दिया जा सके। वर्तमान में, प्रस्तावित नये पूंजी नियमों से बैंकों के उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। मार्च 2010 के अंत में 10.1 प्रतिशत की टियर I पूंजी सहित 14.5 प्रतिशत के सीआरएआर की तुलना में उन्नत पूंजी मानदंड कम है। तथापि, कतिपय कटौतियों के टियर I तथा टियर II पूंजी से साधारण इक्विटी में अंतरित किए जाने से थोड़ा प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा, प्रतिपक्षी कर्ज जोखिम ढांचा संबंधी परिवर्तनों का बड़ी मात्रा में ओटीसी द्विपक्षीय डेरिवेटिव पोजीशन वाले कुछ भारतीय बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता संबंधी निहितार्थ हो सकता है।

1.36 इस बीच, चूंकि बीसीबीएस ने सिद्धांत के रूप में यह स्थिति ली है कि नकदी सहित किसी भी आस्तियों पर लीवरेज अनुपात के मापन हेतु छूट प्राप्त नहीं होगी, अतः लीवरेज की गणना हेतु एसएलआर को नहीं छोड़ा जाएगा। तथापि, प्रस्तावित विनयमन से वर्तमान के निम्नतर लीवरेज अनुपात तथा पर्याप्त टियर I पूंजी एवं सीमित डेरिवेटिव पोजिशन के चलते बैंकों पर दबाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, प्रणालीगत जोखिम पूंजी तथा चलनिधि को कवर करने के लिए कुछ बैंकों को अतिरिक्त पूंजी तथा चलनिधि प्रभार बनाये रखने के लिए कहा जा सकता है। अग्रदर्शी प्रतिचक्रीय बफरों से संबंधित प्रस्तावों के संबंध में उपलब्ध राष्ट्रीय विवेकाधिकार के चलते विनियमन के प्रभाव को समग्र ऋण वृद्धि पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा, हालांकि चक्रीय उत्थान के समय बैंकों को ऐसे बफरों का निर्माण करना अधिक कठिन नहीं होगा। भारत के संदर्भ में प्रतिचक्रीय नीतियों के प्रति क्षेत्रगत दृष्टिकोण अपनाना बेहतर होगा और इस दृष्टिकोण ने अब तक बेहतर कार्य किया है। इस बीच, मानक निर्धारण करने वाली संस्थाओं से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली के लिए निर्धारित जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को सुदृढ़ किया जाना है।

दीर्घावधि वित्तीयन

1.37 बैंकिंग प्रणाली की देयताओं की परिपक्वता के संबंध में अड़चने इसलिए आती हैं कि ये मुख्यतः खुदरा जमाराशियों की और अल्पावधि की होती हैं जिसके कारण बैंकों को ढांचागत जैसे क्षेत्रों की दीर्घावधि वित्तीयन जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है, क्योंकि हाल की प्रवृत्ति से देखा गया है कि ढांचागत क्षेत्र के प्रति बैंकों के उधार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दीर्घावधि वित्तीयन के पक्ष में बैंकों के कर्ज की बदलती संरचना से बैंकिंग प्रणाली में आस्ति

देयता संबंधी असंतुलन की समस्या तीव्र होने की संभावना है। ढांचागत वित्तीयन के लिए व्यक्तिगत तथा समूह एक्सपोजर मानदंडों को और बढ़ाना समुचित नहीं होगा क्योंकि इन्हें पहले ही शिथिल किए गए हैं। आगे, अंतरण (टेक-आउट) वित्तपोषण अथवा अन्य नवोन्मेषी कर्ज प्रोत्साहन व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त बल दिया जाना चाहिए ताकि दीर्घावधि निधियों की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम किया जा सके।

1.38 भारत के बैंकों ने भी जोखिम पूंजी निधि तथा बुनियादी ढांचा निधि जैसे निधियों के निजी स्त्रोतों को प्रायोजित करने तथा उनके प्रबंधन में रुचि दिखाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2010 में बैंकों द्वारा इस प्रकार के तुलनपत्र से इतर कार्यों को प्रारंभ करके उनका प्रबंधन करने के संबंध में विवेकपूर्ण मुद्दों पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2010 में रिज़र्व बैंक ने बंदरगाह, हवाई-पत्तन, पूल सहित सड़क तथा पावर क्षेत्रों द्वारा नई परियोजनाओं के विकास हेतु देशी बैंकों से लिए गए रुपया मुद्रा ऋणों के पुनर्वित्त हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत टेक-आउट वित्तपोषण व्यवस्था की अनुमति दी।

1.39 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2010 में हितधारकों से प्रतिसूचना प्राप्त करने हेतु क्रेडिट चूक स्वैप(सीडीएस) के दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। सीडीएस के लागू हो जाने से बैंकों को एकल उधारकर्ता सकल एक्सपोजर सीमा संबंधी वर्तमान के विनियामक निर्धारण से प्रभावित हुए बिना ऋण का विस्तार करते हुए तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों तथा बड़े फर्मों को कर्ज प्रदान करते हुए अपने एक्सपोजर का प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। कंपनियों की दीर्घावधि जरूरतों के निधीयन से विकसित हो रहे कंपनी ऋण बाजार के विकास में मदद मिलेगी। इस बाजार के विकास हेतु रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2010 से कंपनी बांडों में रिपो की अनुमति दी।

उधार का पुनर्गठन

1.40 अल्पावधि में अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन हेतु उधार के पुनर्गठन का सहारा ऐसे क्रेडिट पात्रता वाले उधारकर्ताओं के संबंध में लिया जाता है जो अप्रत्याशित तथा प्रतिकूल आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। बैंकों द्वारा 2009 में किए गए उधार खातों के पुनर्गठन से हानि की जोखिम उत्पन्न हो सकती है जो ब्याज दर में कमी के कारण तथा / अथवा मूल राशि के भुगतान के पुन:सूचीकरण के कारण अग्रिमों के उचित मूल्य में होने वाली आरंभिक कमी के अतिरिक्त होगी। तथापि, देशी तथा वैश्विक आर्थिक स्थिति में हुए सुधार से भविष्य में होने वाली हानियों को सीमित करने में मदद मिलेगी। रिज़र्व बैंक ने बैंकों की सुदृढ़ता को बढ़ाने तथा वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता की दृष्टि से दिसम्बर 2009 में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया कि चल प्रावधान सहित उनका कुल प्रावधान कवरेज अनुपात 70 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि, प्रावधान संबंधी मानदण्ड आस्तियों की हानियों के लिए कुशन का कार्य करते हैं, तथापि इससे बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होती है

1.41 सभी वित्तीय संस्थाओं के समुचित रूप से कार्य करने के लिए चलनिधि का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। सुदृढ़ चलनिधि प्रबंधन में आर्थिक, विनियामक अथवा अन्य परिचालनात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए चलनिधि आयोजना की एक प्रक्रिया द्वारा समर्थित आस्तियों और देयताओं (तुलनपत्र में शामिल तथा तुलनपत्रेतर) का विवेकपूर्ण प्रबंधन शामिल है। बैंकों को विशेष रूप से स्थिर खुदरा जमाराशियों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें बनाए रखने के माध्यम से चलनिधि प्रबंधन की एक सुदृढ़ योजना स्थापित करनी होगी।

1.42 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का प्रबंधन बैंकों के प्रमुख कारोबारी उद्देश्यों में से एक है जिसके लिए दिए गए उधारों का समुचित मूल्यांकन, उनकी निगरानी तथा प्रबंधन आवश्यक है। 2009-10 में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में वृद्धि हुई। इसके अलावा आस्तियों की गुणवत्ता में भी गिरावट आयी है, जैसा कि बैंकों के 2009-10 की एनपीए प्रोफाइल में संदिग्ध तथा हानि वाली आस्तियों के अनुपात में हुई वृद्धि से ज्ञात होता है। इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए मध्यावधि तथा दीर्घावधि में वित्तीय तनाव के लक्षण चिंता के महत्वपूर्ण विषय हैं।

ब्याज दरें

1.43 आशा है कि 1 जुलाई 2010 से प्रारंभ की गयी कर्ज के मूल्यन की आधार दर प्रणाली से कर्ज मूल्यन की पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी। चूंकि उधार दरें तय करने के लिए बैंकों को अधिक छूट दी

गयी है, अतः उदारीकृत प्रणाली में उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में कार्य करना होगा। जहां उधार दरों में कम बदलाव की प्रवृत्ति रही है, यह आशा की जाती है कि आधार दर प्रणाली से, जो कि निधि की लागत से जुड़ी है, अधिक लचीलापन आएगा तथा मौद्रिक संचरण के ब्याज दर तथा कर्ज के दोनों चैनलों को सुदृढ़ करेगा। रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरों में की गयी वृद्धि से संकेत लेते हुए दिसंबर 2009 से जमाराशियों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। आगे चलकर बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे ऐसी ब्याज दरों पर जमाराशि संग्रहण पर ध्यान देंगे जो खुदरा जमाराशि को बढ़ाने में मदद करेगी।

प्रतिभूतिकरण

1.44 रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2006 में मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में प्रवर्तक को प्रतिभूतिकरण के समय पहले ही लाभ कमाने की मनाही है। दो अन्य विशेषताएं हैं जो ऋण में की गयी वृद्धि पर न्यूनतम 9 प्रतिशत की पूंजी बनाए रखने तथा कर्ज-वर्धित लेनदेनों की अवधि के दौरान ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी न करने से संबंधित हैं। इस प्रकार, भारत में अनियंत्रित प्रतिभूतिकरण हेतु प्रोत्साहन नहीं है जैसा कि अन्य देशों के 'ओरिजिनेट-टू-डिस्ट्रीब्यूट' तथा 'एक्वायर एंड आर्बिट्रेज' मॉडलों में देखा गया है। वित्तीय संकट के अंतरराष्ट्रीय अनुभव, विशेष रूप से प्रतिभूतिकरण तथा तुलनपत्र से इतर लीवरेजिंग के जरिए जोखिमों की अत्यधिक वृद्धि को रोकने में विनियमों की असमर्थता के आलोक में रिज़र्व बैंक ने बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए क्रमशः अप्रैल 2010 तथा जून 2010 में दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया ताकि उसपर टिप्पणी प्राप्त की जा सके। दिशानिर्देशों के प्रारूप में शामिल दो महत्वपूर्ण विशेषताओं में विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को आस्ति की बिक्री करने से पहले न्यूनतम धारिता अवधि का निर्धारण तथा प्रतिभूतिकरण से पहले कर्ज के एक न्यूनतम हिस्से का धारण करना शामिल है।

लेखाविधि मानक

1.45 वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए समुचित रूप से तैयार की गयी लेखाविधि प्रथाओं का होना आवश्यक है। तदनुसार, सुदृढ़ विनियमन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने संबंधी जी-20 समूह ने सिफारिश की है कि लेखाविधि मानक निर्धारकों तथा विवेकपूर्ण पर्यवेक्षकों को मिलकर ऐसे समाधानों की पहचान करनी चाहिए जो वित्तीय स्थिरता तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के समर्थनकारी लक्ष्य के अनुरूप हों। 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गयी है कि भारतीय लेखाविधि मानकों (आइएएस) का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आइएफआरएस) के साथ एकीकरण सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 1 अप्रैल 2013 की स्थिति का अपना प्रारंभिक तुलनपत्र आइएएस की अपेक्षा के अनुरूप परिवर्तित करना होगा जो आइएफआरएस का अनुपालन करता हो। आइएफआरएस की अपेक्षानुसार वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतीकरण बैंकों के लिए एक चुनौती होगा। वर्तमान में अनुसरण किए जा रहे लेखाविधि सिद्धांतों अर्थात रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से आइएफआरएस द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की ओर अग्रसर होने का बैंकों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से ऋण हानियों के प्रावधान तथा निवेशों की हानि जैसे उन क्षेत्रों में इसका असर काफी होगा जहां उच्च स्तर के सुविचारित निर्णय तथा अगोचर निविष्टियों तथा अवधारणाओं का व्यापक उपयोग जरूरी हो। इसके लिए वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन की जरूरत होगी। विशेष रूप से रिज़र्व बैंक के लेखाविधि नियमों के अंतर्गत जहां ऋण हानियों का प्रावधान प्रावधानन दर पर पारम्परिक तरीके से किया जाता है, वहीं इसके विपरीत आइएफआरएस के अंतर्गत प्रत्याशित हानियों का उचित तथा पूर्व आकलन एवं ऋण हानियों के लिए पूर्व प्रावधान की आवश्यकता होती है।

1.46 तथापि, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) के संबंध में निवल मालियत के आकार के अनुसार अनुसूची के चरणबद्ध कार्यान्वयन को उचित समझा गया। एकीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि बैंक तथा अन्य संस्थाएं अपने कौशल, प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षमताओं का उन्नयन करने हेतु उचित उपाय करेंगे ताकि आइएफआरएस की जटिलताओं तथा चुनौतियों का प्रबंधन किया जा सके।

वित्तीय समावेशन

1.47 वित्तीय समावेशन को सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है और यह नीतिगत एजेंडा का एक केंद्रीय हिस्सा है जिसे विशेष रूप से प्रौद्योगिकीय समाधानों के प्रभावी उपयोग द्वारा उचित लागत पर आगे बढ़ाया जाना है। गरीबों के लिए वित्तीय समावेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह उन्हें अपनी बचत को बढ़ाने, कर्ज प्राप्त करने, निवेश करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में समर्थ बनाता है। विशेष रूप से ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्रों में ऐसी बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए, जो लोगों के लिए किफायती हो, एक साथ कई सारे उपायों का सहारा लिया गया है जिनमें विनियामक निदेश, कम लागत वाला प्रौद्योगिकीय समाधान तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रोत्साहन एवं नैतिक आग्रह शामिल हैं।

1.48 देश के 600,000 आबादी समूह में से केवल 5 प्रतिशत के पास वाणिज्य बैंक की एक शाखा है। देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी के पास बैंक खाते हैं और देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में यह अनुपात और कम हो जाता है। 13 प्रतिशत लोगों के पास डेबिट कार्ड हैं तथा केवल 2 प्रतिशत लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं। जैसा कि अध्याय IV में चर्चा की गई है, ओईसीडी के देशों तथा एशिया के चुनिंदा समकक्ष देश समूह की तुलना में वित्तीय विस्तार की दृष्टि से भारत का स्थान नीचे है। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में नई संभावनाओं का ऐसे किफायती प्रौद्योगिकीय समाधानों तथा उपयुक्त कारोबारी मॉडलों का उपयोग करके लाभ उठाया जाना चाहिए कि कम राशि के लेनदेन भी अर्थक्षम हो सके।

1.49 रिज़र्व बैंक के प्लैटिनम जयंती वर्ष के दौरान 2009-10 की मुख्य कार्य-योजना विस्तार कार्यक्रम थी जिसका केंद्र बिंदु वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय शिक्षण थी। रिज़र्व बैंक ने दूर-दराज के 160 बैंक सुविधा रहित गांवों का शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन हेतु चुनाव किया जिनके हरेक परिवार को कम-से-कम एक कर्ज सुविधा प्राप्त होगी, साथ ही वहां प्रभावी शिकायत निवारण तथा जागरूकता बढ़ाने हेतु तंत्र होगा।

वित्तीय स्थिरता

1.50 वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना भारत की मौद्रिक नीति के लक्ष्यों में से एक है। रिज़र्व बैंक ने मार्च 2010 में अपनी पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जिसका निष्कर्ष था कि वैश्विक वित्तीय संकट से भारत अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ, क्योंकि यहां की सुदृढ़ विनियामक तथा पर्यवेक्षी नीतियों ने वित्तीय क्षेत्र की आघात-सहनीयता को सुनिश्चित किया था। रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता के निरंतर आधार पर आकलन के लिए बाजार संकेतकों पर आधारित एक वित्तीय तनाव संकेतक का विकास किया गया है।

1.51 भारत में वित्तीय संस्थाएं बीमा, प्रतिभूति तथा उधार देने, पट्टादायी तथा किराया खरीद आदि जैसे गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के रूप में विभाजित हैं। रिज़र्व बैंक ने अत्यधिक लीवरेज अथवा डबल गियरिंग, विनियामक अंतरपणन, 'इतने बड़े कि इन्हें फेल होने नहीं दिया जा सकता' श्रेणी की संस्थाओं से जुड़ी नैतिक जोखिम, तथा कंपनी समूह की विफलता के जरिए संक्रमण के विस्तार संबंधी चिंताओं के समाधान हेतु एक निगरानी प्रणाली की स्थापना की है। वित्तीय संगुटों के उन्नत पर्यवेक्षण के लिए एक ढांचा पहले से उपलब्ध है, परंतु एसआइएफआइ के लिए समुचित नीतिगत ढांचे के उभरकर आने को ध्यान में रखते हुए इसे परिष्कृत करने की जरूरत है। विशेष रूप से, जहां एसआइएफआइ की स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है वहीं अन्य विनियमित संस्थाओं की तुलना में विवेकाधिकारपूर्ण निर्णयों को रोकने के लिए विनियामक प्रावधानों में समुचित रूप से बदलाव किए जाने चाहिए। एसआइएफआइ को 'लिविंग विल' को पूरा करना होगा तथा आकस्मिक निधीयन तथा जोखिम कम करने के उपायों के संबंध में अग्रिम रूप में योजनाएं बनाने की जरूरत होगी। बैंकों की अपने देश की सीमाओं से बाहर बढ़ती उपस्थिति विद्यमान विधिक ढांचे के अंतर्गत जानकारी के आदान-प्रदान सहित प्रभावी सीमा पार पर्यवेक्षण की अपेक्षा रखती है।

1.52 वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में अंतर-संबद्धता तथा प्रणालीगत जोखिम संबंधी चिंता के मुद्दे उभरकर आए हैं। इस संबंध में, 2010-11 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद(एफएसडीसी) की स्थापना का लक्ष्य वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता हेतु संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। जहां सरकार तथा वित्तीय विनियामकों के बीच समन्वय का होना जरूरी है वहीं विभिन्न विनियामक प्राधिकारियों के बीच उत्तरदायित्वों का स्पष्ट निर्धारण भी होना चाहिए, जिससे निर्धारित क्षेत्र में संकट से बचाव के उपाय शीघ्रता से तथा

प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी। वैश्विक संकट के बाद विश्व भर में प्रणालीगत निगरानी तथा समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमन दोनों के लिए केंद्रीय बैंक पर अधिक दायित्व सौंपने के पक्ष में क्रमशः माहौल बन रहा है। अन्य विनियामकों की तुलना में केंद्रीय बैंक को अधिक उत्तरदायित्व दिया जाना अपेक्षित कार्य करने में उसके सामर्थ्य की वजह से है। तथापि, इस प्रकार के दायित्वों के प्रभावी ढंग से निष्पादन हेतु केंद्रीय बैंक की संस्थागत स्वतंत्रता और स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है। इस संदर्भ में, प्रतिभूति और बीमा नियम(संशोधन और वैधीकरण) बिल 2010 के हाल के अधिनियमन ने कतिपय चिंताओं को जन्म दिया है। बिल के अंतर्गत परिकल्पित व्यवस्था को परिचालनात्मक रूप देते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि विनियामकों की स्वायत्तता से कोई समझौता न हो चाहे वह वस्तुतः हो अथवा वैचारिक।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

1.53 भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखते हुए कौशल तथा लाभप्रदता में वृद्धि करना है। इन लक्ष्यों के अनुरूप अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक ने अब तक कई कार्यों को आगे बढ़ाया है जिनमें विदेशी बैंकों की सहभागिता, बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नयन, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुन:पूंजीकरण, शाखा प्राधिकरण नीति का उदारीकरण, वित्तीय समावेशन हेतु नवोन्मेषी नीतिगत उपायों का अंगीकरण तथा प्रतिचक्रीय विवेकपूर्ण उपायों को लागू करना शामिल हैं। आगे चलकर, वित्तीय क्षेत्र सुधार का फोकस बैंक समेकन, बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय क्षेत्र के अन्य घटकों के साथ आपसी संबद्धता से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिम की रोकथाम और विदेशी बैंकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए भावी मार्ग के निर्धारण पर होगा। विदेशी बैंकों की सहभागिता संबंधी भावी मार्ग के बारे में समीक्षा 2009 में की जानी थी, परंतु वित्तीय संकट के कारण इसे स्थगित रखा गया। भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के तौर-तरीकों के बारे में एक चर्चा पत्र तैयार किया जा रहा है।

4. निष्कर्ष

1.54 वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान सामना की गई समस्याओं के बाद विश्व भर की वित्तीय प्रणाली का विनियामक तथा पर्यवेक्षी ढांचा रूपात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस संबंध में पहुपक्षीय तथा मानक निर्धारक संस्थाएं, जैसे कि जी-20, आइएमएफ, बीआइएस तथा एफएसबी, इस प्रकार के संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उन्नत विनियामक ढांचे की डिजाइन करने में सबसे आगे रहे हैं। विशेष रूप से, बीसीबीएस द्वारा सितंबर 2010 में घोषित उन्नत बासेल II पूंजी व्यवस्था का यहां उल्लेख किया जा सकता है। यद्यपि, इस व्यवस्था से अल्पावधि में प्रतिकूल समष्टि आर्थिक असर हो सकता है, आशा है कि इससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा में वृद्धि होगी जिसका परिणाम सुदृढ़ वृद्धि हेतु दीर्घावधि लाभ के रूप में मिलेगा। भारत में रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से संकेत ग्रहण करते हुए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु कई उपाय कर रहा है। आशा है कि जहां आधार दर प्रणाली की शुरुआत करने जैसे महत्वपूर्ण विनियामक उपायों से ऋण उत्पादों का पारदर्शी व प्रभावी मूल्यन हो सकेगा, वहीं नये बैंक खोलने की अनुमति अनुमति देने के विचार से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और वित्तीय समावेशन की गति तेज होगी। प्रौद्योगिकीय पहलों से बैंक रहित क्षेत्रों में कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बैंकों द्वारा अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन का कार्य, विशेष रूप से पुन:संरचित अग्रिमों की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना के कारण, चिंता का विषय बना हुआ है। आगे चलकर, बैंकों के लिए चलनिधि के प्रबंधन का कार्य महत्वपूर्ण होगा क्योंकि समष्टि आर्थिक गतिविधियों से मौद्रिक नीतिगत रुख निर्देशित होता है।